## प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है ।

वर्ष 2011-12 को आच्छादित करने वाले इस प्रतिवेदन में, मध्यप्रदेश शासन की आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र के अंतर्गत वन, नर्मदा घाटी विकास, लोक निर्माण एवं जल संसाधन विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण परिणाम समाविष्ट है । यद्यपि, सामान्य सामाजिक एवं राजस्व क्षेत्रों के अधीन विभागों को छोड़ा गया है एवं उसे सामान्य, सामाजिक एवं राजस्व क्षेत्र के प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित किए गए प्रकरण उन प्रकरणों में से है जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षाओं की नमूना लेखापरीक्षा करते समय जानकारी में आए तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परंतु जिन्हें पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका था; 2011-12 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान सम्मिलित किए गए हैं।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लेखापरीक्षा मानकों पर आधारित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों की अनुरूपता में लेखापरीक्षा संचालित की गई है ।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 में लेखापरीक्षा की योजना एवं विस्तार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं ड्राफ्ट कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रियाओं की व्याख्या की गई है एवं इस प्रतिवेदन में सम्मिलित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों का एक सार रूप प्रस्तुत है । अध्याय 2 में मध्यप्रदेश में सड़कों के विकास पर निष्पादन लेखापरीक्षा एवं दो थीमेटिक अध्ययनों, क्रमशः वैनगंगा बेसिन में लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं रानी अवंति बाई लोधी सागर परियोजना के वितरण नेटवर्क के निष्कर्षों का उल्लेख है, जबकि अध्याय 3 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की विभाग केन्द्रित लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को समाविष्ट करता है । अध्याय 4 में विभिन्न विभागों में अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का उल्लेख है।